क्रम संख्या–82 (ङ) पंजीकरण संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, शुक्रवार, 20 मई, 2016 ई०
बैशाख 30, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण विभाग

संख्या 174/III(1)/16–66 (अधि०)/2011
देहरादून, 20 मई, 2016

अधिसूचना

सा०प०नि०–07

राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुये उत्तराखण्ड के लोक निर्माण विभाग के विधि सहायक के पदों पर सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है।–

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग विधि सहायक सेवा नियमावली, 2016

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग विधि सहायक सेवा नियमावली, 2016 कहलायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग में विधि सहायक एक अधीनस्थ सेवा है, जिसमें समूह 'ग' के पद सम्मिलित हैं।

परिभाषायें

3. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग अभिप्रेत है।

(ख) "भारत का नागरिक" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं, जो "भारत का संविधान" का भाग–II, के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाता है।

(ग) "आयोग" से उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभिप्रेत है।

(घ) "संविधान" से "भारत का संविधान" अभिप्रेत है।

(ड) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है।

(च) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत हैं।

(छ) "सेवा का सदस्य" से इस नियमावली के प्रारम्भ से पूर्व प्रवृत्त इस नियमावली या आदेशों के अधीन स्थाई रूप से/मूल पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है।

(ज) "सेवा" से उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग की विधि सेवा अभिप्रेत है।

(झ) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो तथा

(ञ) "भर्ती का वर्ष" से कैलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग–2 संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उप नियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाये सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट में दी गई है, परन्तु यह है कि–

(1) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे अस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकार का हकदार न होगा।

(2) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थाई पद सृजित कर सकते हैं, जिन्हे वह उचित समझें।

भाग– 3 भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जोयगी:–

पद का नाम	भर्ती का स्रोत
(1) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता/क्षेत्रीय अभियन्ता स्तर–2/मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल हेतु	
(क) विधि सहायक	(1) 60 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा (2) 40 प्रतिशत पद विभाग में मौलिक रूप से नियुक्त 'समूह ग' के ऐसे कार्मिकों में से जिन्होंने विभाग से अनुज्ञा प्राप्त करने के उपरान्त नियम-8 में विहित अर्हतायें अर्जित की हो, भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की मौलिक सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा

आरक्षण 6. उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग 4– अर्हताएं

राष्ट्रीयता 7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, होना चाहिए, या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, लंका तथा केनिया, युगाण्डा और संयुक्त तांजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन किया हो परन्तु उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो। परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए भी पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणीः– जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो न ही, नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हतायें 8 विधि सहायक के पद पर सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि होनी चाहिए।

अधिमानी अर्हता 9 अभ्यर्थी जिसने–

(1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो, या

(2) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, उसे अन्य बातें समान होते हुए भी सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

(3) **अनिवार्य अर्हता–** लोक सेवा आयोग की परिधि के अर्न्तगत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होगा।

वांछनीय अर्हता– लोक सेवा आयोग की परिधि के अर्न्तगत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु अभ्यर्थी के लिए उत्तराखण्ड राज्य की परम्पराओं, रीतियों एवं बोलियों का ज्ञान तथा प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट परिस्थितियों में नियुक्ति के लिए उपयुक्त होना वांछनीय होगा।

आयु 10 सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु, यदि पद 01 जनवरी से 30 जून की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो जिस वर्ष भर्ती की जाती है, उस वर्ष की 01 जनवरी के 21 वर्ष और अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए और यदि पद 01 जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो उस वर्ष की 01 जुलाई को 21 वर्ष और अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र 11. सेवा में भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र अनिवार्य रूप से ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी

संघ सरकार या किसी राज्य संरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक स्थिति 12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया जो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो।

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक योग्यता 13. किसी अभ्यर्थी को किसी सेवा पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पडने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे चिकित्सा बोर्ड की परीक्षा में उत्तीर्ण होने की अपेक्षा की जायेगी।

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग –5 सीधी भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा 14. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और आयोग को सूचित करेगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया 15. सीधी भर्ती की प्रकिया (उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह ग के पदों पर सीधी भर्ती की प्रकिया नियमावली, 2008 के अनुसार की जायेगी तथा इन पदों पर भर्ती, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जायेगी।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया 16. (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर निम्नानुसार गठित विभागीय चयन समिति के द्वारा की जायेगी।

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी — अध्यक्ष

(दो) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का न हो। यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का हो तो अध्यक्ष-द्वारा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गो से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। — सदस्य

(तीन) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्गो का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गो का न हो। यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अन्य पिछड़े वर्गो या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। सदस्य

(2) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गुणानुक्रम के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी और उनकी चरित्र, पंजिका तथा उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे अभिलेखों के साथ चयन समिति के समक्ष रखी जायेगी, जो उचित समझे जायं।

(3) चयन समिति द्वारा उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार किया जायेगा और यदि वह आवश्यक समझे तो उसके द्वारा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया जा सकता है।

(4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के आधार पर सूची तैयार कर उसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगी।

संयुक्त चयन सूची 17. यदि किसी वर्ष नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती है तो संगत सूचियों से नाम लेकर एक संयुक्त चयन सूची इस प्रकार तैयार की जायेगी जिससे विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग–6 नियुक्ति, परिवीक्षा और स्थायीकरण

नियुक्ति 18. (1) उपनियम (2) के अध्यधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस कम में लेकर जिसमें वे नियम 15,16 या 17 यथास्थिति, के अधीन बनायी गयी सूचियों में हों, नियुक्ति करेगा।

(2) यदि किसी वर्ष भर्ती नियुक्तियॉ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी है तो नियमित नियुक्तियॉ तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न किया गया हो और नियम 17 के अनुसार संयुक्त सूचियां तैयार न की गयी हों।

(3) यदि किसी चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति का आदेश जारी किया जाता है तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नाम का उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार या उस कम में, यथास्थिति, जिस कम में उनका नाम उस संवर्ग में है, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया हो। यदि नियुक्तियॉ सीधी और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती हैं तो नाम नियम 17 में निर्दिष्ट चकीय कम में कमांकित किये जायेंगे।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थानापन्न रूप में भी उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई सूची में नियुक्ति कर सकता है। यदि सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह इन नियमों के अधीन पात्र अभ्यर्थियों में से ऐसी रिक्तियों पर नियुक्ति कर सकता है। ऐसी नियुक्तियॉ एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए या इन नियमों के अधीन अगले चयन के बाद तक, इनमें जो भी पहले हो, नहीं की जायेगी और जहॉ पद आयोग के क्षेत्र के अन्तर्गत आता हो, वहॉ उत्तराखण्ड, लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 2003 के प्राविधान लागू होंगे।

परिवीक्षा 19. (1) सेवा में किसी पद पर या उसके विरूद्ध पर नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा में रहेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी प्राधिकारी पृथक–पृथक मामले में परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए जब तक अवधि बढ़ाई गयी है, अथवा बढ़ा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित करने होंगे।

परन्तु उपबन्ध यह है कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि में किसी परिवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

(4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3)के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रूप में प्रदान की गयी हो।

स्थायीकरण

20. (1) परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी किया जा सकेगा यदि उसने–

(क) विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई है, उत्तीर्ण कर ली हो,

(ख) विहित प्रशिक्षण, यदि कोई है, सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो,

(ग) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक बताया गया हो,

(घ) उसकी सत्यनिष्ठा अधिप्रमाणित है, तथा

(ड) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधन हो जाय कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता

21. मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग–7 वेतन इत्यादि

वेतनमान

22. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ठ (क) के अनुसार होगा।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

23. मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्राविधान के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि स्थायी सरकारी सेवा में नहीं है, तो उसे एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने और प्रशिक्षण प्राप्त करने पर जहॉ विहित हों समयमान में पृथक वेतन वृद्धि की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा दूसरी वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने तथा स्थायी किये जाने पर दी जायेगी।

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा उवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें ऐसी बढ़ाई गयीं अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में है, राज्य के कार्यो से सम्बन्धित सामान्य सेवारत सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

भाग–8 अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

24. किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित संस्तुति पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

25. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हो, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता

26. जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उसी सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

परन्तु जहां नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो वहां उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त करने या शिथिल करने से पूर्व उस आयोग से परामर्श प्राप्त करना होगा।

व्यावृत्ति

27. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबंधित किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट "क" (नियम–4)

अधिष्ठान के अन्तर्गत स्वीकृत पदों की संख्या
प्रमुख अभियन्ता/क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता/मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल हेतुः–

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान (रू0 में)	स्वीकृत संख्या		
			स्थाई	अस्थाई	योग
1.	विधि सहायक	9300–34800 ग्रेड वेतन– 4200	08	–	08

आज्ञा से,

डी0 एस0 गर्ब्याल,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 03 लोक निर्माण/285–2016–100+200 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

क्रम संख्या–195 (क–19)

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, मंगलवार, 27 दिसम्बर, 2016 ई0

पौष 06, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

लोक निर्माण अनुभाग–1

संख्या 1957/III(1)16–66 (अधि0)/2011

देहरादून, 27 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0–01

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके **"उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग विधि सहायक सेवा नियमावली, 2016"** में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

"उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग विधि सहायक (संशोधन) सेवा नियमावली, 2016"

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम **"उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग विधि सहायक सेवा नियमावली, 2016"** है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

भाग–3 नियम 5(क) का संशोधन

मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान भाग–3 नियम–5(क) के स्थान पर निम्नानुसार स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्–

स्तम्भ– 1 वर्तमान नियम	स्तम्भ– 2 एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
भाग–3 भर्ती का स्रोत 5(क)– विधि सहायक (1) 60 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा (2) 40 प्रतिशत पद विभाग में मौलिक रूप से नियुक्त 'समूह ग' के ऐसे कार्मिकों में से जिन्होंने विभाग से अनुज्ञा प्राप्त करने के उपरान्त नियम–8 में विहित अर्हतायें अर्जित की हो, भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की मौलिक सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।	**भाग–3 भर्ती का स्रोत 5(क)**– विधि सहायक (1) 60 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा (2) 40 प्रतिशत पद विभाग में मौलिक रूप से नियुक्त 'समूह ग' के ऐसे कार्मिक जिन्होंने विभाग में नियुक्ति की तिथि से पूर्व ही अथवा नियुक्ति के उपरान्त विभाग से अनुज्ञा प्राप्त करने के उपरान्त नियम–8 में विहित अर्हतायें अर्जित की हो, भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की मौलिक सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा चयन किया जायेगा।

आज्ञा से,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 01 लोक निर्माण / 16–2017–100+200 (कम्प्यूटर / रीजियो)।